

**राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग**

क्रमांक प.22(1)न्याय/22 पार्ट-2

जयपुर, दिनांक

::आज्ञा::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को अपने पद के कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सम्मुख अंकित विभाग में रिक्त पद का अग्रिम आदेशों तक अतिरिक्त कार्य सम्पादित किये जाने हेतु तुरन्त प्रभाव से निर्देशित किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री)	वर्तमान पदस्थापन स्थान	अतिरिक्त कार्य हेतु आवंटित विभाग
1.	अशोक वर्मा	संयुक्त विधि परामर्शी-चतुर्थ, शासन सचिवालय, जयपुर	उप विधि परामर्शी कार्यालय विशिष्ट शासन सचिव, विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर

साथ ही इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 17.11.2025 द्वारा श्री संग्राम सिंह करनावत, उप विधि परामर्शी, संस्कृत शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को दिये गये अतिरिक्त कार्य के आदेश को निरस्त किया जाता है। शेष यथावत रहेंगे।

आज्ञा से

**(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट शासन सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग।
4. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी अतिरिक्त कार्य के स्थान पर अविलम्ब कार्यग्रहण कर रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाए।
5. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Document certified by ANKIT RAMAN
<ankitraman.ar@gmail.com>.

Digitally Signed by ANKIT
RAMAN
Designation: Joint Secretary
Date :13-01-2026 12:50:42

RajKaj Ref No.:
19889527

eSign DSC